

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 51/2018

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant

2/5
T.S. सावनापुर
C. S. B. शासनी

Name, parentage, caste and address of accused

अतेश सावनापुर 5/0 केदार सिंह नि. देहाव सिख
हाल नामे. कुकेडा, सावनापुर

The offence, complaint of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 2/2/2018 मुकाम
नाम कुकेडा, डे.ए.ल. के पास पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 48 क्वार्टर लीटर/पाव/बोटल शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

अंतोष


हस्ता.
नाथिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहाद

हस्ता.
नाथिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहाद

// निर्णय //

(आज दिनांक 20/3/18 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 1000 शब्दों में शराब रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति 48 लीटर/पाव/बोटल शराब शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावे। अपील न होने पर मानव अपील न्यायालय के आदेश को


मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
जयपुर